फर्द अहकाम

(नियम 30)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल

रामेश्वरलाल बनाम तहसीलदार माण्डल

मिसल मुकदमा प्रा-पत्र 251-A नं० 112 सन 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.8.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जावे। विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 21.9.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
21.9.21	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21.12.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
5.10.21	पत्रावली प्रशासन गावो के संग अभियान केम्प भरावमपुरा मे पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही, बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी की आराजी नं. 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, कुल किता 06 कुल रकबा 2.3901 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नं. 3851 3852, कुल किता 02 कुल रकबा ... हैक्टेयर भूमि ग्राम बालानगर ... पुरा तहसील माण्डल जिला ... उक्त भूमि मे प्रार्थी के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षी की आराजी सं. 3853 रकबा 0.8220 हैक्टेयर भूमि मे से दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे 30 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की, जब डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:29:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	कि विपक्षी ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा पेश की गई मौका रिपर्ट का अध्ययन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है अतः
	:: आदेश ::
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा० का० अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी नं० 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850 कुल किता 06 कुल रकबा 2.3901 हैक्टेयर भूमि एव आराजी नं० 3851, 3852 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2909 हैक्टेयर भूमि पर आने-जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एव मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नही है, उपरोक्त भूमि मे आने-जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 3853 रकबा 0.8220 बिलानाम हैक्टेयर भूमि मे से दक्षिणी मेड के सहारे-सहारे 20 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है 20 फीट चौड़ाई के रास्ते मे काम मे आने वाली भूमि की D.L.C. दर की डबलराशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान के या राजकोष मे जमा कराये। अ-प्रार्थी की भूमि रा[illegible] आने वाली भूमि को राजस्व रेक[illegible] और भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रास्ते के रूप मे [illegible] करते हुए नक्शे मे तरमीम किया जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:29:43 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग ... 2021